राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302001)

Telefax:0141–2222403 E-mail-dlbrajasthan@gmail.com web: www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकःपीआर / डीएलबी / विविध / 2023–24 / 14093-94 दिनांक : 24/01/2024

आयुक्त

नगर निगम जयपुर

ग्रेटर एवं हैरिटेज

विषयः– अनाधिकृत प्रचार–प्रसार सामग्री एवं अवैध होर्डिंग्स / यूनीपोल / बैनर / पोस्टर हटाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि क्वीन्स रोड़, टोंक रोड, झोटवाड़ा रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग एवं नगर निगम जयपुर के अन्य क्षेत्रों में अधिकतर गेन्ट्रीज, दिशा सूचक गेन्ट्रीज एवं राजकीय होर्डिंग आदि पर अवैध रूप से राजनैतिक, समाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों तथा समाचार पत्रों के प्रचार–प्रसार के विज्ञापन लगे हुए है। यह राजस्थान नगर पालिका सम्पत्ति विरूपण नियमों के विरूद्ध है तथा इस स्थिति को उच्च स्तर पर गम्भीरता से लिया गया है।

नगर निगम जयपुर (ग्रेटर / हैरिटेज) क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रचार–प्रसार सामग्री एवं अवैध होर्डिंग्स / यूनीपोल / बैनर / पोस्टर हटाने हेतु पुनः निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते है :–

01. नगर निगम जयपुर (ग्रेटर / हैरिटेज) क्षेत्र में स्थित अवैध विज्ञापन, बैनर, पोस्टर तुरन्त हटाये जाये तथा की गई कार्यवाही के फोटोग्राफ विभागीय ई–मेल आई.डी. jdpr.lsg@gmail.com तथा विभागीय वाट्सऐप ग्रुप में आवश्यक रूप से भेजें।

02. राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल / गेन्ट्री पर विज्ञापन ना लगे इसके लिए एक निगरानी दल का गठन किया जाकर सघन अभियान चलाया जावे एवं 24 घण्टे यह निगरानी किये जाने की व्यवस्था की जावे। जिससे राजकीय होर्डिंग्स एवं यूनीपोल पर राजकीय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनाधिकृत प्रचार–प्रसार के फ्लैक्स नहीं लगे।

03. नगर निगम जयपुर (ग्रेटर / हैरिटेज) क्षेत्रों में लगे अवैध होर्डिंग्स / यूनीपोल / गेन्ट्री / बैनर / वॉल पेंटिंग / पतंग / बोर्ड हटाने की कार्यवाही प्रतिदिन आवश्यक रूप से की जावे।

04. राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल के साथ–साथ राजकीय सम्पत्तियों के विरूपित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त FIR दर्ज करायी जावे एवं सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की गयी कार्यवाही से प्रतिदिन स्वायत्त शासन विभाग को सूचित किया जावे।

05. अवैध सामग्री व लोकेशन को हटाने तथा सामग्री हटाने में हुये व्यय की संबंधित व्यक्ति से वसूली की जावे।

06. सभी फ्लैक्स प्रकाशन करने वाली फर्मो / संस्थाओं को सूचित किया जावे कि वे संबंधित नगरीय निकाय की पूर्व स्वीकृति के बिना राजकीय होर्डिंग्स का उपयोग नहीं करें।

07. नगर निगम जयपुर (ग्रेटर / हैरिटेज) क्षेत्रों में स्थापित राजकीय होर्डिंग्स / यूनीपोल यदि क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं एवं उनकी मरम्मत की आवश्यकता है तो संबंधित निगम उसे अविलम्ब

मरम्मत करवाकर ठीक करवाये तथा सभी होर्डिंग्स/यूनीपोल/गेन्ट्री पर लाईटें भी लगायी जावें।

यदि नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हैरिटेज) क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग/बैनर/पोस्टर/अनाधिकृत प्रचार–प्रसार सामग्री हटाने में संबंधित जोन उपायुक्त अथवा अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उक्त निर्देशों की पालना नहीं की जाती है, तथा लापरवाही बरती जाती है तो उसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावे अथवा प्रस्तावित की जावे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःपीआर/डीएलबी/विविध/2023–24/14095-14114 दिनांक : 24/01/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
5. समस्त जोन उपायुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हैरिटेज)।
6. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)